बिहार विधान सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि १४ मार्च, १९५१

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १४ मार्च, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

बेतिया राज की जमीन की बन्दोबस्ती।

*४०। श्री यमुना राम—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बेतिया राज के भूतपूर्व मैनेजर श्री बी० बी० वर्मा ने ढाका, थाना तेलहारा की अढ़ाई बीघा जमीन ढाका के डा० दारोगा प्रसाद वर्मा के साथ बन्दोबस्त की, जिसके मिसलेनीयस रिसिट नं० २८५४ के अनुसार एक सौ छप्पन रुपए चार आने की रसीद २९ मार्च १९५० को कट चुकी है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह बात सही है कि उसी जमीन को जिसकी बन्दोबस्ती डा० दारोगा प्रसाद के साथ हो गई है और जिसके लिए सलामी का रुपया भी ले लिया गया है वर्त्तमान मैनेजर धोड़ासहन के किसी अन्य धनी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त करने जा रहे हैं और डा० दारोगा प्रसाद वर्मा के नाम से मालगुजारी की रसीद काटने में रोक लगा दी गई है;

(ग) क्या यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में डा० दारोगा प्रसाद वर्मा ने माननीय राजस्व मंत्री को कोई आवेदन-पत्र दिया है, यदि हां तो उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) उत्तर हां है।

(ख) डा० दारोगा प्रसाद वर्मा के साथ अभी पूरी बन्दोबस्ती नहीं हुई है, चूंकि उन्होंने गाछ का दाम नहीं दिया है जो उस जमीन पर है। दाम देने का आदेश भूतपूर्व मैनेजर श्री विपिन विहारी वर्मा ने दिया था।

(ग) सरकार ने मैनेजर से एक रिपोर्ट मांगी थी और वह आ भी गयी है। सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

श्री नन्द किशोर नारायण लाल—अगर डा० दारोगा प्रसाद वर्मा पेड़ का दाम दे देंगे तो उनके साथ बन्दोबस्त करने में कोई अड़चन तो नहीं होगी?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उत्तर हां है।

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जमीन किसके दखल में है?

नोट:—अल्प-सूचना प्रश्न ३९ स्थगित हुआ।

*माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में सरदार हरिहर सिंह के निवेदन पर उत्तर दिया गया।

(c) whether it is a fact that the proprietors concerned have got excluded the forest more than enough with the connivance of the Amin at the time of demarcation;

(d) if the answer to clauses (a), (b) and (c) be in the affirmative, the action Government propose to take to save the forests from such destruction?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(ए) एंड (बी) प्राइवेट फौरेस्ट का डिमारकेशन प्लेंड तरीके से सुपीरिअर औफिसर्स की देख-रेख में किया जाता है। सरकारी आदेश है कि डिमारकेशन की लाइन बस्ती के बहुत नजदीक नहीं जाय और आबाद जमीन, पासचर लैंड्स, टांड़ जमीन जहां तक सम्भव हो एभोयड किया जाय और डिमारकेशन लाइन टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिये जहां तक हो सीधा हो। जो एरिया डिमारकेशन के बाद छोड़ दिया जाता है वह जंगल के मालिकों को लौटा दिया जाता है। लौटाने के पहले प्राइवेट फौरेस्ट ऐक्ट की दफा ४७ के अनुसार उसे नोटिफाई किया जाता है। इस तरह के एक्सक्लुडेड एरियाज में कुछ पेड़ काटे गये हैं और जंगल विभाग ने देखा कि यहां के जमींदार और उनके ठीकेदार जंगल काट कर चारकोल मैनुफैकचर कर रहे हैं। इस तरह के डिसट्रक्शन की रिपोर्ट किसी दूसरे फौरेस्ट डिवीजन से नहीं आई है।

(सी) फौरेस्ट का डिमारकेशन जो अमीन करते हैं उनको इस मामले में फाइनल अधिकार नहीं है। इसकी जांच डिवीजनल फौरेस्ट औफिसर और रेंज औफिसर खुद करते हैं। जब मौका मिलता है फौरेस्ट सेटलमेंट औफिसर भी इसकी जांच करते हैं और जो गलतियां होती हैं उन्हें दुरुस्त कर दिया जाता है।

(डी) ताकि इस तरह से जंगल को ओनर्स बरबाद नहीं करें, पलामू फौरेस्ट डिवीजन में ६० जमींदार उनके ठीकेदार और उनके एजेंट वगैरह के खिलाफ बिहार प्राइवेट फौरेस्ट ऐक्ट के अनुसार प्रोजीक्यूशन लंच किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस फौरेस्ट डिवीजन के एक्सक्लुडेड एरियाज में जंगल का काटना बन्द हो गया है।

DISCONTENT AMONGST THE FOREST CONTRACTORS OF SARANDA DIVISION.

A† *468. Shri KAMLESHWARI PRASAD YADAVA: Will the Hon'ble the Minister in charge of Forest Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is a growing discontent among the forest contractors and the Government servants under the present officer in charge (Shri B. N. Prasad) of Saranda Forest Division, Chaibassa, owing to his bad behaviour with the people concerned;

A—Postponed from the 28th February, 1951.

†माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री महावीर प्रसाद के निवेदन पर उत्तर दिया गया।

(*b*) whether it is a fact that the above named officer has allowed contractor, Mr. A. P. Verma, to extract timber of his coupe after payment of less than 10 per cent of instalments of purchase price of the coupe ;

(*c*) whether it is a fact that others have been asked to pay 40 per cent of the purchase price in the 1st instalment ;

(*d*) whether it is a fact that Mr. N. P. Verma (brother of Mr. A. P. Verma and belonging to the same joint family) is a defaulter and has filed a suit in the court against the department ;

(*e*) if the answer to clauses (*a*), (*b*) and (*c*) be in the affirmative whether Government propose to take any action in the matter ?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(ए) सरकार को खबर नहीं है।

(बी) श्री ए० पी० बर्मा एक पुराने फौरेस्ट कौण्ट्रेक्टर हैं जिन्होंने लौट नं० ९ १९५०-५१ को ७०,२७५ रुपया में खरीदा। इसका फस्ट इंसटालमेंट २८,१५५ रुपया होता है। डिवीजनल फौरेस्ट औफिसर की रिपोर्ट है कि चूंकि श्री ए० पी० बर्मा फाइनेन्सीयल डिफिकल्टी में थे इसलिये डी० एफ० ओ० ने सात हजार रुपये की मालियत की लकड़ी जंगल से निकालने की इजाजत दी क्योंकि उन्होंने सात हजार रुपया फस्ट इंसटालमेंट के रूप में जमा कर दिया था। यह औडंरएंज ए भेरी स्पेशल केस दिया गया था। डी० एफ० ओ० को यह अधिकार है कि वे एडवान्स जमा किये हुए रकम तक की लकड़ी निकालने का हुक्म दे सकते हैं यदि उन्हें संतोष हो कि ऐसा करने से सरकार की रेभनीउ का लौस नहीं होगा। श्री बर्मा एक बहुत पुराने जंगल कंट्रैक्टर हैं और आइटम १५ (नोट) औफ अपेंडीक्स (१) औफ फौरेस्ट मैनुअल, भौलूम २ के अनुसार डी० एफ० ओ० को यह अधिकार प्राप्त है। अन्त में यह देखा गया कि डी० एफ० ओ० के इस औडंर से गवर्नमेंट के रेभनीउ में कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

(सी) जेनरल कंडीशन औफ सेल पार्ट २ ऑफ दी सुरसंड फौरेस्ट डिवीजन के मुताबिक सभी कंट्रैक्टर्स जो ३ हज़ार से अधिक का लौट लेते हैं उन्हें इस प्रकार कीमत चुकाना पड़ता है—

पहला किस्त	..	४० प्रतिशत	सेल कंनफरमेशन के डेट से २० दिन के अन्दर।
दूसरा किस्त	..	२५ प्रतिशत	१ जनवरी या उसके पहले।
तीसरा किस्त	..	२० प्रतिशत	१ मार्च या उसके पहले।
चौथा किस्त	..	बाकी रकम	१ मई या उसके पहले।

फ़ौरेस्ट कंट्रैक्टर्स को जंगल में काम करने की इजाजत कनफरमेशन औफ सेल के बाद ही दे दी जाती है। लेकिन वे लकड़ी को नहीं निकाल सकते जब तक उन्होंने इंस्टालमेंट नहीं दिया है और उसी रकम तक की लकड़ी ले जा सकते हैं जितना रुपया उन्होंने एक्चुअली पे किया है।

(डी) यह मालूम नहीं है कि श्री ए० पी० वर्मा श्री एन० पी० वर्मा के परिवार के हैं। हां यह सही है कि उनके यहां फौरेस्ट रेमेन्यू बाकी है। उनके खिलाफ एक सर्टिफिकेट केस दाखिल किया गया था। सर्टिफिकेट औफिसर और ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर, सिंघभूम ने सरकार के फेवर में जजमेंट दिया है लेकिन कंनट्रैक्टर ने छोटा-नागपुर के कमिश्नर के यहां अपील दाखिल किया है। इसलिये यह मैटर अभी सब-जूडिस है।

(इ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—श्री एन० पी० वर्मा के यहां कितना रेमेन्यू बाकी है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—यह खबर नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने जांच की है या नहीं कि एन० पी० वर्मा और ए० पी० वर्मा एक ही परिवार के हैं?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जी नहीं, गवर्नमेंट ने जांच नहीं की है। कंजरवेटर औफ फौरेस्ट की ऐसी रिपोर्ट है। अगर माननीय सदस्य की इच्छा है तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह—(बी) से निकलता है, मैं जानना चाहता हूं कि ए० पी० वर्मा पर खास रियायत करने का क्या कारण है?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—कोई खास रियायत तो नहीं की गई है। उनके साथ जो रियायत की गई है वह ऐसी है। उनसे फर्स्ट इंस्टालमेंट औफ ४० परसेंट विदीन ट्वेन्टी डेज नहीं लिया गया है, मगर लकड़ी मिलने के पहले उन्होंने सात हजार रुपया जमा किया है। वे एक पुराने कंट्रैक्टर हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कोई आर्थिक रियायत नहीं की गई है। रुपया दाखिल करने के बाद ही उन्हें लकड़ी मिली।

श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह—क्या अन्य पुराने कंट्रक्टर्स के साथ भी इस तरह की रियायत की जाती है, या नहीं?

माननीय अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

DROWNING OF A TRACTOR IN THE DISTRICT OF DARBHANGA.

A *468. Shri **HARINATH MISHRA**: Will the Hon'ble the Revenue Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn towards an editorial comment of a local English daily in its issue of the 17th January, 1951 with regard to the drowning of one tractor in the district of Darbhanga;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, the name and cost of the tractor, the person or persons responsible for the drowning, the steps taken or proposed to be taken against the persons responsible for the incident;

A—Postponed from the 28th Feburary, 1951.

*म० सदस्य की अनुपस्थिति में श्री महावीर प्रसाद के निवेदन पर उत्तर दिया गया।